

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला मीलवाडा(राजपू)

प्रकरण संख्या 157/2017

शोभा देवी

बनाम

कैलाश केशव वर्मा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री शोभा देवी आठमण ने जरिये आभिलेख  
श्री शशिेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल  
खाते की भूमि ग्राम वीकरण प0ह0 वीकरण तह0 माण्डलगढ में आ  
906/161

किता 1 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन  
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करा  
साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान श्री  
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्राथी  
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद कर  
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव  
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0कट स्वीकार किया  
ग्राम वीकरण की आराजी न0 906/161

रकबा बीघा 8 बिस्वा 10 की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी वि  
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जा  
कमीशनर फीस /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा

पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहस  
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2

